

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारजि

प्रलिस के लयि:

समलैंगिक विवाह, धारा 377, भारतीय दंड संहति (IPC), समलैंगिकता, LGBTQ समुदाय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संवधान पीठ ।

मेन्स के लयि:

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने एवं प्रगतपर प्रभाव

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की 5 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफसमीक्षा याचिकाओं को खारजि कर दिया, जसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाना अस्वीकार किया गया था ।

- अक्टूबर 2023 के फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने समलैंगिक विवाहों की संवधानिक वैधता के खिलाफ 3:2 बहुमत से फैसला दिया ।

समलैंगिक विवाह क्या है?

- परचिय:
 - समलैंगिक विवाह से तात्पर्य सामान लगी के दो व्यक्तियों के बीच विवाह (अर्थात दो पुरुषों के बीच या दो महिलाओं के बीच विवाह) से है ।
- भारत में वैधता: भारत में समान लगी वाले विवाह को मान्यता नहीं दी गई है ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय 2023: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 समान-लगी वाले युगलों पर लागू नहीं होता है और कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का कार्य है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संवधान के तहत विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं है ।
 - हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने समान लगी वाले युगलों के लिये अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के तहत लवि-इन पार्टनर के समान प्रदत्त समान लाभ प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है ।

समलैंगिक विवाह की मान्यता पर वैश्विक स्थिति

- वर्ष 2024 तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित विश्व के 30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है ।
- नीदरलैंड वर्ष 2001 में नागरिक विवाह कानून में संशोधन करके समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था ।
- ताइवान, एशिया का पहला देश था जसिने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया ।
- ईरान, अफगानस्तान, सऊदी अरब एवं बरुनेई जैसे कई देश न केवल समलैंगिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं बल्कि इसके लिये यहाँ मृत्युदंड या शारीरिक दंड सहित कठोर दंड का भी प्रावधान है ।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954 क्या है?

- परचिय:
 - SMA, 1954 भारत में विभिन्न धर्मों या जातियों के बीच विवाह के लिये विधिक ढाँचा प्रदान करता है ।

- इसके द्वारा सविलि वविहों का वनियिमन कयिा जाता है, जहाँ धार्मकि प्राधकिारयिों के बजाय **राज्य, वविह को मान्यता** देता है।
- **प्रयोज्यता:**
 - SMA भारत में हदि, मुसलमि, सखि, ईसाई, जैन और बौद्ध सहति **सभी धर्मों के लोगों पर लागू** होता है।
 - **SMA, 1954** के तहत **वदिशी भी भारत में अपने वविह का पंजीकरण करा सकते हैं**, यददिनों पक्षों के पास वैध पासपोर्ट हों और वविह नोटसि दाखलि करने से पहले **कम से कम एक पक्ष ने भारत में न्यूनतम 30 दनि तक नविास** कयिा हो।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - **वविह मान्यता:** यह अधनियिम वविहों के पंजीकरण, वधिकि मान्यता प्रदान करने तथा **उत्तराधकिार, वरिसत एवं सामाजकि सुरक्षा लाभ** जैसे **अधकिार** प्रदान करने की सुवधि प्रदान करता है।
 - **नोटसि की आवश्यकता:** धारा 5 के अनुसार, संबंधति पक्षों को ज़लि के **वविह अधकिारी को लखिति नोटसि देना** होगा, जसिमें कम से कम एक पक्ष नोटसि देने से पहले कम से कम 30 दनिों तक ज़लि में नविास कर रहा हो।
 - धारा 7 के अनुसार नोटसि प्रकाशति होने के **30 दनिों के अंदर वविह पर आपततयिाँ** दर्ज़ की जा सकती हैं।
 - **आयु सीमा:** SMA के तहत वविह की न्यूनतम आयु **पुरुषों के लयि 21 वर्ष तथा महिलाओं के लयि 18 वर्ष** है।

समलैंगकि वविह के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **समानता और मानवाधकिार:** समान लयि वाले युगलों को वविह करने के अधकिार से वंचति करना इन्हें द्वितीय श्रेणी का दर्जा **प्रदान करता है**, जो अंतर्राष्टरीय मानवाधकिार सम्मेलनों के तहत **मूल अधकिारों का उल्लंघन** है।
 - UDHR द्वारा वविह के अधकिार को मूल मानवाधकिार माने जाने के साथ समानता एवं सम्मान पर बल दयिा गया है। भारत में कारयकरत्ताओं का तर्क है कयिह संवधिान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधकिार) के अनुरूप है।
- **साथ में रहने का मूल अधकिार:** [2006](#) और [2018](#) जैसे नरिणयों में सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** के तहत **साथ में रहने को मूल अधकिार** के रूप में मान्यता दी है, जसिसे सरकार पर समान लयि वाले युगलों के बीच संबंधों को वधिकि रूप से मान्यता देने का दबाव पड़ता है।
- **वधिकि और आर्थकि लाभ:** समलैंगकि वविह को वैध बनाने से वविह से संबंधति **कानूनी एवं आर्थकि लाभ**, उत्तराधकिार अधकिार तथा सामाजकि सुरक्षा लाभों तक समान पहुँच मलिती है।
- **अंतर्राष्टरीय सदिधांत:** समलैंगकि वविह **30 से अधिक देशों में वधिकि** है, जो वैश्वकि मानवाधकिार सदिधांतों के अनुरूप है।

समलैंगकि वविह के वपिक्ष में तर्क क्या हैं?

- **धार्मकि और सांस्कृतकि मान्यताएँ:** कई धार्मकि और सांस्कृतकि समूह इस बात पर बल देते हैं कविविह **पुरुष तथा महिला के बीच होना चाहिये** तथा उनका तर्क है कविविह को पुनर्रभिषति करना उनके आधारभूत मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती देने के समान है।
- **प्राकृतकि व्यवस्था के वरिद्ध:** कुछ लोग समलैंगकि वविह का इस आधार पर वरिद्ध करते हैं कविविह का **प्राथमकि उद्देश्य संतानोत्पत्ति** (जसि समलैंगकि युगल पूरा नहीं कर सकते) है, इस प्रकार इससे **प्राकृतकि व्यवस्था का खंडन** होता है।
- **कानूनी और वनियिमक चुनौतयिाँ:** इससे संबंधति **संभावति कानूनी जटलिताओं के बारे में चतिाएँ** व्यक्त की गई हैं, जैसे कवित्तराधकिार में आवश्यक समायोजन और संपत्ति कानून, जसिमें जटलि वधिकि परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।
- **गोद लेने संबंधी मुद्दे:** जब समलैंगकि युगल **बच्चों को गोद लेने** का वकिलूप चुनते हैं तो उन्हें सामाजकि कलंक, भेदभाव का सामना (वशिष रूप से भारतीय समाज में) करना पड़ सकता है तथा इससे बच्चे के भावनात्मक और मनोवैज्ञानकि स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में LGBTQIA+ और उनके अधकिार

- **LGBTQIA+** एक संक्षिप्त शब्द है जो समलैंगकि (Lesbian/Gay), उभयलिंगी (Bisexual), ट्रांसजेंडर (Transgender), क्वीर (Queer), इंटरसेक्स (Intersex) और अलैंगकि (Asexual) का प्रतिनिधित्व करता है।
- **'+** कई **अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व** करता है जिन्हें अभी भी खोजा और समझा जा रहा है। यह परिवर्णी शब्द लगातार विकसित हो रहा है और इसमें गैर-बाइनरी तथा पैनसेक्सुअल जैसे अन्य शब्द भी शामिल हो सकते हैं।
- **भारत में LGBTQIA+ की मान्यता:**
 - **2014:** सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासकि फैसले में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लयि के तौर पर मान्यता दी। (**राष्टरीय कानूनी सेवा प्राधकिरण बनाम भारत संघ, जसि आमतौर पर NALSA नरिणय के नाम से जाना जाता है**)।
 - **2018 (नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ):** एक ऐतिहासकि फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगकि संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली **धारा 377** को रद्द कर दयिा।
 - **2019:** **उभयलिंगी व्यक्ती (अधकिारों का संरक्षण) अधनियिम, 2019** पारति कयिा गया, जो कानूनी मान्यता प्रदान करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तीयों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।
 - **2022:** अगस्त 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **समलैंगकि युगलों** और **समलैंगकि संबंधों को शामिल करने** के लयि परिवार की परिभाषा का वसितार कयिा।
 - **2023:** अक्टूबर 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संवधिान पीठ ने भारत में **समलैंगकि वविह को वैध** बनाने की याचकिाओं को खारजि कर दयिा।

आगे की राह

- **वधिक सुधार: SMA, 1954** में संशोधन करके **समलैंगिक युगलों** को वषिमलैंगिक युगलों के समान अधिकार एवं वधिक लाभ प्रदान कये जा सकेंगे।
 - वैकल्पिक रूप से समलैंगिक व्यक्तियों के लये समान अधिकार सुनिश्चित करने के क्रम में **अनुबंध-आधारित समझौते** शुरू कये जा सकते हैं।
- **संवाद एवं सहभागिता: धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्त्ताओं** के साथ सहभागिता करने से पारंपरिक मान्यताओं एवं समलैंगिक संबंधों पर वकिसति दृष्टिकोणों के बीच के अंतराल को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **न्यायिक नेतृत्व में सुधार: LGBTQIA+** समुदाय समलैंगिक वविह को प्रतबंधित करने वाले मौजूदा कानूनों को न्यायालयों में चुनौती दे सकता है, जससे संभवतः **इसकी मान्यता के लये कानूनी प्रेरणा** मिल सकती है।
- **सहयोग:** समलैंगिक वविह को वैध बनाने के लये LGBTQIA+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज एवं धार्मिक नेताओं सहित **सभी हतिधारकों के सामूहिक प्रयासों** की आवश्यकता है, ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण कया जा सके, जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हों।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में समलैंगिक वविह के वैधीकरण के साथ इससे संबंधित वमिर्श पर चर्चा कीजये। इस मुद्दे में शामिल वधिक तथा सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने का संभावित तरीका क्या हो सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तसे वविह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजये। (2017)